



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 06 अलग-अलग मामलों में 10 अभियुक्तों को 13500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 05 अलग-अलग मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को कुल 13100/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 103/07 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजू पुत्र छत्रपाल निवासी अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा को **1500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग 307/11 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त कमलेश पुत्र बुधदविलास सोनी निवासी लखन कॉलोनी थाना अतर्रा जनपद बांदा को **1500 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग 211/09 धारा 3/25 आर्मस एक्ट के अभियुक्त सिल्ला उर्फ सुनाल पुत्र धर्मपाल शिवहरे निवासी बेना मऊ थाना कमासिन जनपद बांदा को **1000 रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 255/05 धारा 188/426 भादवि के अभियुक्तगण 1. मूलचन्द्र 2. बालाप्रसाद 3. रामबाबू पुत्रगण सोहनपाल निवासीगण कोरम बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल **2100/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 44/09 धारा 323/504/506 भादवि का अभियुक्त बच्ची उर्फ रमेश पुत्र महावीर पटेल निवासी ग्राम भदेहदू थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल **1000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
6. थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग 34/16 धारा 323/324/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. सादाब पुत्र राजू कुरैशी 2. सीमा पत्नी राजू कुरैशी 3. सुहाना पत्नी निवासीगण ग्राम हरदौली थाना बबेरू जनपद बांदा को कुल **6000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।